दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 08 नवंबर, 2021

निम्न मामले में:-

आप.पु.या.108/2021

राज्य .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मीनाक्षी चौहान, राज्य के लिए अति.लो.अभि., के साथ उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह पुलिस थाना साउथ कैंपस।

बनाम

हसन अहमद .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री राखी दुबे के साथ श्री हिमांशु गेरा, अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद,

न्या.सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. दं.प्र.सं. की धारा 397/401 के तहत यह याचिका पुलिस स्टेशन साउथ कैंपस में भा.दं.सं. की धारा 392/34 के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी संख्या 189/2016 से उत्पन्न SC No. 58/2020 में, विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 25.02.2020 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश ने इसमें आक्षेपित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि यहां भा.दं.सं. की धारा 397 के अंतर्गत अपराध अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध नहीं बनता है और मामला भा.दं.सं. की धारा 392 के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिए विद्वान मुख्य महानगर दंडाधिकारी को भेज दिया गया है।

2. तथ्यात्मक ढांचा जिसके कारण तत्काल याचिका दायर की गई है, वह निम्नानुसार हैः

क) किसी नवी पुत्र संजीव भादु निवासी S/466, दूसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 11.04.2016 को रात को लगभग 9 बजे, उनके चार दोस्त, सिद्धांत, सुयश, शुभम और प्रणव उनसे मिलने उनके घर आए थे। यह कहा गया कि लगभग 1:00 बजे सुबह वह अपने दोस्तों के साथ प्रणव को डीएल 1एन 8064 नंबर की गाड़ी में उसके कार्यालय छोड़ने के लिए जनकपुरी गए थे| यह कहा गया कि शिकायतकर्ता कार चला रहा था। यह कहा गया कि सुबह लगभग 1:40 बजे शिकायतकर्ता ने एक सिगरेट खरीदने के लिए दक्षिण मोती बाग बस स्टैंड से पहले रिंग रोड, धौला कुआं, दिल्ली में कार रोकी। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता, प्रणव और सुयश कार से

उतर गए। यह कहा गया है कि एक भूरे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार गलत तरफ से आई और शिकायतकर्ता की कार के पीछे अपनी कार खड़ी कर दी। यह कहा गया है कि कार में सवार लोगों ने खुद को दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के रूप में अपना परिचय दिया और शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों से पूछा कि वे वहां क्या कर रहे थे और उन्हें कार के अंदर बैठने को कहा। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों के कार में बैठने के बाद, एक व्यक्ति जो लगभग 5'7" का था और जिसका रंग गेंहुआ था, उसने शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों को पिस्तौल लहराते हुए धमकी दी और उन्हें अपना सारा सामान देने के लिए कहा। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों ने उन व्यक्तियों को अपना सामान दे दिया था। उक्त शिकायत पर, प्राथमिकी संख्या 189/2016 दिनांक 12.04.2016, भा.दं.सं. की धारा 392/34 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन साउथ कैंपस में दर्ज की गई थी।

ख) अभियुक्त (इसमें प्रत्यर्थी) को भा.दं.सं. की धारा 411/482 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन मालवीय नगर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 559/2016 में गिरफ्तार किया गया था। यह कहा गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने प्राथमिकी संख्या 189/2016 में अपने साथ मौजूद अन्य व्यक्तियों के साथ अपराध करने का एक इन्कशाफ़ बयान दिया। इसमें प्रत्यर्थी ने शिनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया।

ग) आरोप-पत्र यह कहते हुए दायर किया गया है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 397/34 के तहत अपराधों के लिए उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

घ) दिनांक 25.02.2020 को, विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय ने प्रत्यर्थी के खिलाफ केवल भा.दं.सं. की धारा 392 के तहत अपराधों के लिए आरोप विरचते हुए विवादित फैसला पारित किया। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि पिस्तौल को केवल लहराया गया था, और इसका उपयोग नहीं किया गया था, और इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत अपराध अभियुक्त के खिलाफ नहीं बनता है। चूंकि, भा.दं.सं. की धारा 392 के तहत अपराध विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है, इसलिए कानून के अनुसार अपने न्यायालय या अन्य न्यायालय को मामला सौंपने के लिए फाइल को विद्वान मुख्य महानगर दंडाधिकारी, पटियाला हाउस न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया गया था।

ई) यह वह आदेश है जिसे तत्काल याचिका में आरोपित किया गया है।

4. इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या जब रिवॉल्वर/पिस्तौल दिखाकर लूट का कार्य किया जाता है तो क्या धारा 397 के तहत अपराध बनता है या नहीं?

5. सुश्री मीनाक्षी चौहान, राज्य के लिए विद्वान् अति.लो.अभि., प्रस्तुत किया हैं कि लूट करने के लिए एक रिवॉल्वर/पिस्तौल दिखाना भा.दं.सं. की धारा 397 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। राज्य के लिए विद्वान् अति.लो.अभि. ने फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन **(1975) 1 एस.सी.सी. 797,** में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर यह प्रतिवाद करने के लिए भरोसा जताया है

कि इसमें आक्षेपित निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विधियों के पूर्णतः विरुद्ध है।

6. इसके विपरीत, यहां अभियुक्त/प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री राखी दुबे का तर्क है कि ऐसी किसी भी सामग्री की वसूली नहीं हुई है जिसे अभियुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा लूटने का आरोप लगाया गया है| इसलिए, वह कहती है कि भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत अपराध प्रत्यर्थी के खिलाफ नहीं बनता है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि कथित घटना में प्रयुक्त हथियार भी अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया है| प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।

7. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि सुश्री मीनाक्षी चौहान, और अभियुक्त/प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुई विद्वान अधिवक्ता सुश्री राखी दुबे को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

8. भा.दं.सं. की धारा 397 निम्नानुसार हैः

> “397. लूट, या डकैती, मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ- यदि, लूट या डकैती करते समय, अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो

कारावास जिसके साथ ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा, वह सात वर्ष से कम नहीं होगा।

9. फूल कुमार (उपरोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार से देखा:

> "7. यदि घातक हथियार का उपयोग वास्तव में अपराधी द्वारा लूट करने में किया जाता है जैसे कि गंभीर चोट, मृत्यु या इसी तरह की स्थिति में तो यह स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया। **चन्द्रनाथ बनाम सम्राट [ए.आई.आर. 1932 अवध 103]; नगर सिंह बनाम सम्राट [ए.आई.आर. 1933 लाह 35] और इंदर सिंह बनाम सम्राट [ए.आई.आर. 1934 लाह 522] के मामलों में दंड संहिता की धारा 397 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भयभीत करने के लिए उसके विरुद्ध हथियार लहराने या उससे पीड़ित को डराने के लिए घातक हथियार प्रदर्शित करने जैसे कुछ प्रत्यक्ष कार्य किए गए हैं कहा है।** बम्बई उच्च न्यायालय के न्या. जे.एस. शाह और न्या. व्यास ने गोविन्द दीपाजी मोरे बनाम राज्य [ए.आई.आर. 1956 बम 353] के मामले में कहा है कि यदि चाकू
>
> > **"का उपयोग किसी व्यक्ति के दिमाग पर ऐसी धारणा पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था कि उसे अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, वो धारा 397 के अर्थ के भीतर हथियार का "उपयोग" करने के बराबर होगा।"**
>
> उस मामले में भी अपीलार्थी के खिलाफ सबूत यह था कि जब वह पीड़ित की दुकान पर गया तो उसके हाथ में चाकू था। हमारी राय में यह विधि का सही दृष्टिकोण है और चांद सिंह [आई.एल.आर.

(1970) 2 पुंज और हर 108] के मामले में "प्रयोग" शब्द को दिया गया प्रतिबंधित अर्थ सही नहीं है।"

(जोर दिया गया है)

10. उपर्युक्त निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि 'उपयोग' शब्द में किसी अन्य व्यक्ति पर हावी होने या उसके शिकार को डराने के लिए उसके खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करना शामिल होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गोविंद दीपाजी मोरे बनाम राज्य, **ए.आई.आर. 1956 बम 353** में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यदि चाकू का उपयोग किसी व्यक्ति के दिमाग पर ऐसी छाप पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था कि उसे अपनी संपत्ति से अलग होने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो यह भा.दं.सं. की धारा 397 के अर्थ के भीतर हथियार के 'उपयोग' के बराबर होगा| उच्चतम न्यायालय ने इस पहलू पर राज्य बनाम चांद सिंह, **आई.एल.आर. (1970) 2 पुंज और हर 108,** में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है।

11. यह तथ्य कि हथियार बरामद नहीं किया गया है, भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत आरोप तय नहीं करने का कोई आधार नहीं है। हथियार की बरामदगी न होने का प्रभाव केवल मुकदमे में देखा जाएगा और यह भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत आरोप तय नहीं करने का कारण नहीं हो सकता है।

12. तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है। आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत आरोप तय किए जाने चाहिए। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को कानून के अनुसार मामले को अपने न्यायालय या अन्य न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

13. इन टिप्पणियों के साथ, लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, के साथ याचिका का निपटान किया जाता है।

न्या. सुब्रमोणयम प्रसाद,

08 नवम्बर, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*